न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी रमेश देव (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम

नम्बर मुकदमा – 110 / 2020   निर्णय दिनांक – 15.6.2025

1 जगदीश सिह	पि. जगेन्द्र सिह	जाति तरखान
2 गुरदीप सिह		सा. चक प्रतापनगर
3 करनैल सिह		तह. संगरिया

– वादीगण

बनाम

1 जगेन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह उर्फ भगत सिह जाति तरखान सा. चक प्रतापनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैक शाखा संगरिया तह. संगरिया

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित

श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण

श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि प्रति स. 1 जगेन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह उर्फ भगत सिह के नाम चक 7 एम.जे.डी. खाता स. 28 / 9 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2071–74 चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स. 36 / 13 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2073– 76 चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 41 / 86 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2071–74 व चक 13 ए.एम.पी. खाता स. 34 / 63 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2070–73 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजीप्रति स. 1 जगेन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह उर्फ भगत सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त आराजी उनके वारिसान वादीगण की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण जन्म से ही ब.हि.ब. का विरासतन हक व हिस्सा बनता है।अतः प्रतिस. 1 के नाम दर्ज आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के हकदार एवं खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। दावा की दफा 2 में दर्ज वादग्रस्त आराजी का वादीगण ने काश्त की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए तथा आराजी के एकीकरण केलिए अच्छी मंदी अनुसार घरू बंटवारा कर रखा है। उक्त घरू बंटवारा मुताबिक प्राप्त आराजी का वादीगण दावा की दफा 4 के अनुसार खाता अलग कायम करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है।वादीगण दावा की दफा 4 के मुताबिक काबिज होकर काश्त

सत्यमेव जयते
Web Copy Not Official

करते चले आ रहे है।लेकिन उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है। इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि वे वादीगण को दावा की दफा 4 मुताबिक खातेदार काश्तकार होना मान वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के अनुसार अलग कायम करवा लेवें। इस पर पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये। बस यही वाद कारण है।अतः घोषणा इस अमर की जारी फरमाई जावे कि चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स. 36/13 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार है।व चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 41/86 खाता जगेन्द्र सिह व चक 13 ए.एम.पी. खाता स. 34/63 खाता जगेन्द्र सिह व इसी चक के खाता स. 135/81 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी का वादी स. 2 खातेदार काश्तकार है। व चक 7 एम.जे.डी. खाता स. 28/9 खाता जगेन्द्र सिह कल कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 3 खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे। वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 2 की तलबी होने पर उसके हाजिर अदालत नही आने पर उनके विरूध एकतरफा कार्यवाही की गई।प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी स. 2 गुरदीप सिह का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस में कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काशत की सुविधा को ध्यान में रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादीगण के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 7 एम.जे.डी. खाता स. 28/9 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2071–74 चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स. 36/ 13 खाता जगेन्द्र सिह ज.स. 2073– 76 चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 41/86 खाता जगेन्द्र सिह ज. स. 2071–74 व चक 13 ए.एम.पी. खाता स. 34/63 खाता जगेन्द्र सिह ज. स. 2070–73 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 ता 4 है।वादीगण के वाद का कोई

विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाता है कि चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स. 36/13 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार है।व चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 41/86 खाता जगेन्द्र सिह व चक 13 ए.एम.पी. खाता स. 34/63 खाता जगेन्द्र सिह व इसी चक के खाता स. 135/81 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी का वादी स. 2 खातेदार काश्तकार है। व चक 7 एम.जे.डी. खाता स. 28/9 खाता जगेन्द्र सिह कल कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 3 खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे।वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे।

निज ..X.. मुब्लिक ..X.. बाबत ..X.. खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक ..X.. को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.6.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

1 जगदीश सिह 2 गुरदीप सिह 3 करनैल सिह	पि. जगेन्द्र सिह	जाति तरखान सा. चक प्रतापनगर तह. संगरिया

– वादीगण

बनाम

1 जगेन्द्र सिह पुत्र मंगल सिह उर्फ भगत सिह जाति तरखान सा. चक प्रतापनगर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 शाखा प्रबन्धक एच.डी.एफ.सी.बैक शाखा संगरिया तह. संगरिया

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मु. स . 110/2020 दावा अर्न्तगत धारा 88/53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि चक 10 एन.टी.डब्लयु खाता स. 36/13 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 1 खातेदार काश्तकार है।व चक 12 ए.एम.पी. खाता स. 41/86 खाता जगेन्द्र सिह व चक 13 ए.एम.पी. खाता स. 34/63 खाता जगेन्द्र सिह व इसी चक के खाता स. 135/81 खाता जगेन्द्र सिह में प्रति स. 1 के नाम दर्ज कुल आराजी का वादी स. 2 खातेदार काश्तकार है। व चक 7 एम.जे.डी. खाता स. 28/9 खाता जगेन्द्र सिह कल कुल आराजी में से 2.270 है0 आराजी का वादी स. 3 खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जावे।वादीगण का खाता दावा की दफा 4 के मुताबिक अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर रकमराज अलग अलग कायम की जावे। दावा की दफा 4 निम्नप्रकार से हैः–

वादी स. 1 जगदीश सिह का हिस्साः–

चक 10 एन.टी. डब्लयु.

153/172 46 3/.228 7–8–13–14–17–18/.253प्र. 23–24/.253प्र. गै.मु./.025 = 2.277 है0

उपखण्ड अधिकारी (SDO) ... नमराम

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी स. 2 गुरदीप सिह का हिस्सा:-

चक 12 ए.एम.पी.

146/183 42 2/.228 7/.253 8/1/.063. .544 है0

चक 13 ए.एम.पी.

147/163 5 3/.063 8/.228 9/.101 गै.मु./.126 = .518 है.

चक 13 ए.एम.पी.

147/163 5 11/.101 12/.228 19–20/.253प्र. गै.मु. .037 =0.873है.

147/164 8 16/.227 17/.253 गै.मु./.026 = 0.506है0

वादी स. 3 करनैल सिह का हिस्सा:–

चक 7 एम.जे.डी.

153/173 4 11–12–13–14–17–18–19–23–24/.253प्र.

= 2.277है0

प्रतिवादी स. 1 जगेन्द्र सिह उर्फ जगिन्द्र सिह का हिस्सा:–

चक 7 एम.जे.डी

153/173 4 3–4/.228प्र. 7–8/.253प्र. गै.मु./0.050 = 1.012है0

चक 10 एन.टी.डब्लयु

152/173 50 12–13–14–15/.253प्र. = 1.012 है0

निज.....X..... मुब्लिक.....X..... बाबत.....X.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 15.6.2023 को जारी की गई।

नोट:– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलैक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया